# न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :–श्रीमति रक्षा पारिक,R.A.S.)

प्रकरण संख्या:– 2024/89 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक– 26.08.2025

अनवान

1. तुलसी सिंह पिता परता जी, जाति राजपुत, आयु 72 वर्ष, निवासी–ढालों की भागल, सगरूण, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद। ..... प्रार्थी

बनाम

1. भेरा पिता हीमा जी, जाति उठड राजपुत, आयु वयस्क, निवासी सगरूण, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
2. उपपंजियन अधिकारी, उपपंजियन कार्यालय खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, खमनोर, जिला राजसमंद। ..... अप्रार्थी

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री गजेन्द्र टांक, अधिवक्ता प्रार्थी।

विपक्षीगण बावजुद सुचना अनुपस्थित रहने से कार्यवाही एक–तरफा।

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का एक घोषणा, ईन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा का विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर दिया है जो सही एवं ठोस आधारों पर आधारित होकर प्रार्थी को उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। राजस्व ग्राम सगरूण, पटवार हल्का सगरूण, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद में निम्न विवरण की कृषि भूमियां स्थित है–

खाता संख्या नया 708 पुराना 662 में वर्णित आराजीयात् 5088/4120 रकबा 1.2645 है. कुल किता 01 कुल रकबा 1.2645 हैक्टेयर

उक्त भूमि पेमाईश से पूर्व प्रार्थी की थी लेकिन पेमाईश में राजस्व रेकर्ड की गलती से विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज हो गई जबकि आज दिन तक प्रार्थी ही उस भूमि पर कमा–खा रहा है। प्रार्थी ही उसका उपयोग, उपभोग कर रहा है। दिनांक 01.04.2024 को प्रार्थी को पता चला कि उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड की गलती से विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज हो गई तो प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 को भूमि प्रार्थी के नाम पर दर्ज कराने का निवेदन किया तो विपक्षी संख्या 01 ने ऐसा करने से इंकार कर दिया और प्रार्थी को धमकी दी कि वह उक्त भूमि उसके नाम पर आ जाने से उसे अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय हस्तांतरण कर देगा तथा प्रार्थी द्वारा मना करने पर विपक्षी संख्या 01 नहीं मान रहा है इस कारण प्रार्थी उक्त भूमि को अपने नाम राजस्व रेकर्ड में घोषणा कराने का अधिकारी है एवं तद्नुरूप ईन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है और चुंकि विपक्षी संख्या 01 ने उक्त भूमि विक्रय करने की धमकी दी इस कारण उसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। विपक्षी संख्या 01 भूमि विक्रय करने पर अमादा है इस कारण विपक्षी संख्या 02 के विरूद्व भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है कि विपक्षी संख्या 01 द्वारा उक्त भूमि को विक्रय हस्तांतरण करने के संबंध में कोई भी दस्तावेज विपक्षी संख्या 02 के यहां प्रस्तुत किया जावें तो विपक्षी संख्या 02 ऐसे किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का पूर्ण प्रथम दृष्ट्या प्रकरण होकर सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान

सहायक कलक्टर, नाथद्वारा

है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित संपत्ति प्रार्थी की है फिर भी विपक्षीगण, प्रार्थी को उसकी संपत्ति से बेदखल करने एवं उक्त संपत्ति प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं करने पर अमादा है जिससे प्रार्थी अपने हक अधिकारों से वंचित रह जायेगा और उसे ऐसी भारी क्षति होगी कि जिसकी पूर्ति किसी भी अर्थ में या अन्य प्रकार से संभव नहीं होगी, व्यर्थ के वाद एवं मुकदमेंबाजी बढेगी। इसके विपरीत विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर विपक्षीगण को कोई क्षति कारित नहीं होगी।

अतः प्रार्थना है कि –

प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावें कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि को विपक्षी संख्या 01 अपने नाम पर दर्ज होने का फायदा उठा प्रार्थी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से विक्रय, हस्तांतरण नहीं करें तथा प्रार्थी के उपयोग,उपभोग में कोई दखलअंदाजी एवं बाधा अवरोध उत्पन्न नहीं करें तथा न ही ऐसा स्वंय करें तथा न अन्य किसी से करावें।

प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 02 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावें कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि के संबंध में किसी विपक्षी संख्या 01 द्वारा कोई भी दस्तावेज पंजियन हेतु प्रस्तुत किया जावें तो विपक्षी संख्या 02 द्वारा ऐसे किसी भी दस्तावेज का पंजियन नहीं करें एवं विपक्षी संख्या 03 द्वारा ऐसे किसी भी दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करें।

प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की आदेशात्मक आज्ञा फरमाई जावें कि दौराने पेश करने वाद एवं प्रार्थना पत्र सुनवाई यदि विपक्षी संख्या 01 द्वारा उक्त भूमि अपने नाम पर दर्ज होने का फायदा उठा प्रार्थी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को विक्रय, हस्तांतरण कर दें एवं प्रार्थी के उपयोग, उपभोग में बाधा, अवरोध, दखलअंदाजी करें तो आदेशात्मक आज्ञा द्वारा पुनः यथावत् स्थिति कराई जावें।

प्रकरण दर्ज कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सुचना अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्व कार्यवाही एक–तरफा करने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस पर गंभीरतापूर्वक चिंतन एवं मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त आराजीयात् विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड है तथा प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने स्वामित्व एवं कब्जे संबंधी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को सिद्व करता हो साथ ही रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्व स्थगन जारी किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नहीं होते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में एवं तीनों ही बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर/नबंर से कम होकर/ मूल वाद के साथ संलग्न की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रक्षा पारिक, **RAS** )
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा
सहायक कलक्टर, नाथद्वारा